UPCD010007462026

न्यायालय, विशेष न्यायाधीश (एस.सी/एस.टी) एक्ट, चन्दौली

उपस्थितः रामबाबू यादव, (एच.जे.एस.) **J.O. code UP-6374**

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या– 360/2026

सुधांशु राय उर्फ शुभम राय उर्फ झब्बू राय पुत्र स्व. योगेन्द्र राय, निवासी–मारूती नगर कॉलोनी, छित्तूपुर, थाना लंका, जनपद वाराणसी।

– – – प्रार्थी/अभियुक्त

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य – – – आपत्तिकर्ता

अपराध संख्या – 01/2026
धारा– 3(5), 319(2), 318(4), 338, 336(3) व 340(1) भारतीय न्याय संहिता व 66 आई.टी. ऐक्ट
थाना– साइबर क्राइम चन्दौली जनपद–चन्दौली।

दिनांकः– 12–03–2026

प्रार्थी/अभियुक्त **सुधांशु राय उर्फ शुभम राय उर्फ झब्बू राय** की ओर से थाना साइबर क्राइम चन्दौली जिला चन्दौली के मुकदमा अपराध संख्या 01/2026 धारा 3(5), 319(2), 318(4), 338, 336(3) व 340(1) भारतीय न्याय संहिता व धारा 66 आई.टी. ऐक्ट के केस में यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थनापत्र, शपथपत्र से समर्थित है।

2. जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

3. **संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि** दिनांक 05–02–2026 को थाना साइबर क्राईम पुलिस थाना चन्दौली में वादी उपनिरीक्षक कृपेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि दिनांक 05–02–2026 को वादी/उ0नि0 कृपेन्द्र प्रताप सिंह मय हमराही हे.कां. पवन कुमार यादव व कां. मनोज चौहान के साइबर सेल कार्यालय से रवाना होकर म्यूल खाता सत्यापन व साइबर अपराधियों की खोजबीन हेतु कस्बा मुगलसराय में मामूर थे कि जरिये मुखबिर सूचना मिली कि तीन लड़के जिनकी उम्र लगभग 25 से 30 वर्ष है, कोयला मंडी में लोगों को इकठ्ठा करके अपनी फाइनेंस कम्पनी का प्रचार पम्पलेट बांटते हुए बता रहे हैं कि उनके यहाँ आसान व न्यूनतम कागजी कार्यवाही पर सभी प्रकार के लोन उपलब्ध हैं एवं विभिन्न बैंकों में बचत खाता खुलवाने के लिये प्रलोभन दे रहे हैं, यह लोग साइबर फ्राड करते हैं। मुखबिर खास की सूचना पर विश्वास करके वादी/उपनिरीक्षक मय हमराहियान मय मुखबिर खास के मौके से रवाना होकर कोयला मंडी पहुँचे जहां बजरंग बली मंदिर के पास कुछ लोग खड़े हुए दिखे। उनमें से एक दो लोग अपनी बातों से उपस्थित भीड़ को अपने पक्ष में प्रेरित करने का प्रयास कर रहे थे। पुलिस वालों की गाड़ी को अपने पास आता देख भीड़ में से तीन लोग एकाएक अलग निकल कर जाना चाह रहे थे कि पुलिस बल द्वारा इनकी गतिविधि संदिग्ध जानकर रोक लिया गया। रोके गये व्यक्तियों से नाम व पता व उनके काम के विषय में पूछने पर एक व्यक्ति ने अपना नाम पता सुजीत कुमार पटेल उर्फ गुड्डू पुत्र बच्चे लाल पटेल निवासी भगवानपुर थाना लंका जनपद वाराणसी मो0नं0 8115550133 व मो.नं. 7307611519, दूसरे ने अपना नाम सिकन्दर राजभर पुत्र शमशेर सिंह निवासी भगवानपुर थाना लंका जनपद वाराणसी मो0नं0 9208559505 व मो.नं. 8115384950 तथा तीसरे ने अपना नाम सुनील पटेल पुत्र स्व0 राजकुमार पटेल निवासी छित्तूपुर थाना लंका BHU वाराणसी मो.नं. 8299832940 बताया तथा काम के विषय में पूछने पर बता रहे हैं कि वे लोग लोन दिलवाने का कार्य करते हैं। उनका विभिन्न बैंको में सम्पर्क श्रोत है जिनके माध्यम से वे आसानी से लोन दिलवा देते हैं और अगर किसी को खाता खुलवाना होता है तो वे उसका खाता भी खुलवा देते हैं। रोके गये व्यक्तियों की जामा तलाशी लेने पर सुजीत के पास से 02 अदद एन्ड्राएड फोन (1) OPPO कम्पनी IMEI NO- 866778043852577 व 8667780438 52569 (2) SAMSUNG कम्पनी बरंग सुनहरा IMEI NO- 357707087115027 व पीठ पर टाँगे हुए नीले व स्लेटी रंग के बैग को खोलकर देखने पर उसमे से विभिन्न बैंकों के

12 पासबुक जिसका विवरण निम्नवत् है (1) BOB खाता संख्या 28318100008380 खाता धारक नाम रिंकी पटेल (2) SBI खाता संख्या 4463065612 खाता धारक नाम श्रवण पटेल (3) UCO BANK खाता संख्या 33890110020555 खाता धारक नाम साधुरी पटेल (4) UCO BANK खाता संख्या 33890110016985 खाता धारक नाम खुरचा हुआ CIF NO-808974023 (5) BARODA UP BANK खाता संख्या 83870100001201 खाता धारक नाम सुजीत कुमार (6) BOB खाता संख्या 28318100008380 खाता धारक नाम रिंकी पटेल (7) BOB खाता संख्या 28560100024286 खाता धारक नाम सुजीत कुमार (8) BARODA UP BANK खाता संख्या 83870100001079 खाता धारक नाम रिंकी पटेल (9) CENARA BANK खाता संख्या 110266800344 खाता धारक नाम सुजीत कुमार (10) काशी गोमती ग्रामीण बैंक खाता संख्या 616322080002043 खाता धारक नाम सुजीत कुमार (11) BOB खाता संख्या 28560100024286 खाता धारक नाम सुजीत कुमार (12) BOB खाता संख्या 31901250007481 खाता धारक सुजीत कुमार व 04 अदद चेकबुक (1) BOB 2855010024286 सुजीत कुमार (2) INDIAN BANK 8074146480 VALLY FOOD COURT चेकबुक बार कोड JJ8040465431N (3) UCO BANK- 35890110015049 सुजीत कुमार (4) SBI 4463065612 श्रवण पटेल चेकबुक कोड JL0974445431N व 7 अदद ATM CARD (1) उत्कर्ष स्मल फाइनेंस बैंक– 3536111400103448 RUPAY कार्ड धारक– कृष्णा गोड़ (2) BOI 6079270295549663 RUPAY कार्ड धारक अमन सोनकर (3) केनरा बैंक 8175090013199255 RUPAY कार्ड धारक अज्ञात (4)SBI- 4591933107458522 VISA कार्ड धारक VALLY FOOD COURT (5) बड़ोदा यूपी बैंक– 6081420039124341 RUPAY कार्ड धारक कृष्णा गोड़ पुत्र संजय (6) SBI 6522945682072618 RUPAY कार्ड धारक रिंकी पटेल (7) BOB –6521514034387479 RUPAY कार्ड धारक रिंकी पटेल व 09 अदद सिम कार्ड लिफाफा (1) JIO SIM 89918710401071003576 (2) JIO SIM 8991871040117748874 7 (3) VI SIM 8991027602001554807 5 (4) VI SIM 8991027662001853719 7 (5) VI SIM 8991027322013147333 0 (6) VI SIM 8991027602004551834 6 (7) VI SIM कोड 8991027402005929497 6 (8) AIRTEL SIM 89910009239962889 4SU MOBIL NO- 7268928555 (पेन से लिखा हुआ) (9) AIRTEL मोबाइल नं० 7755025152 (पेन से लिखा हुआ) व 02 अदद UPI ID स्टीकर क्यू. आर (1) PPQR01- HEXP-XT@iob (2) PPQR01- UGZLSM@iob व 01 अदद नोटिस दिनांकित 06–11–2025 पीठासीन अधिकारी जूडिसियल प्रथम क्लास मजिस्ट्रेट IX एर्नाकुलम ACK NO -31505250011401 के सम्बन्ध में व 20 अदद पम्पलेट KRITI फाइनेंस FINANCE आधार कार्ड पैन कार्ड पर आसानी से लोन ऑल टाइप बैंकिंग लोन प्रोवाइडर सुविधाएं होम लोन बिजनेस लोन एजुकेशन लोन दुकानदारों के लिए लोन, पर्सनल लोन, मकान बनवाने के लिए लोन, सैलरी पे लोन, न्यू अकाउंट ओपनिंग, पता वैष्णो नगर चौराहा छित्तूपुर मो 8115550133 व 9670620762 व 02 अदद पैन कार्ड (1) RINKI PATEL HYVPP8553H (2) SUJIT KUMAR EQRPK0839 व 03 अदद आधार कार्ड (1) सुजीत कुमार पुत्र बच्चेलाल पटेल निवासी भगवानपुर BHU लंका वाराणसी आधार नं0 345008995675 (2) रिंकी पटेल पत्नी सुजीत कुमार निवासी भगवानपुर BHU लंका वाराणसी आधार नं0 446739172540 (3) सुजीत कुमार पुत्र बच्चुराम निवासी जलीलपुर, रामनगर, मुगलसराय, उत्तर प्रदेश आधार नं0 –34500899 5675 व 01 अदद कीपैड फोन बरंग नीला कंपनी TMB IMEI NO- 351487333077288 (2) 351487333077296 बरामद हुआ। अभियुक्त के पास बरामद दोनों आधार कार्ड में नाम व पता भिन्न–भिन्न होने के विषय में पूछने पर बताया कि वे लोग सामान्यतः बाहर मुगलसराय वाला आधार कार्ड प्रयोग करते हैं जिससे उनके सही नाम पते की पहचान न हो सके और जब कभी पुलिस पकड़े तो उसको मुगलसराय वाले पते का आधार कार्ड देकर अपने को बचा सकें। यह आधार कार्ड उसने खुद नाम पता परिवर्तित कराकर प्रिंट निकलवा लिया था। दूसरे व्यक्ति सुनील पटेल उपरोक्त के जामा तलाशी में जेब मे से 01 अदद पैन कार्ड नं0–DANPP3544J तथा मोबाइल के विषय में पूछने पर बताया कि कुछ दिन पहले उसका मोबाइल गिर गया। अभी दूसरा ले नहीं पाया है। तीसरे व्यक्ति सिकंदर उपरोक्त की जामा तलाशी में 01 अदद एंड्रायड फोन VIVO कंपनी रंग पर्पल गुलाबी IMEI NO-868188051646952 (2) 868188051646945 बरामद हुआ। रोके गये व्यक्तियों से बरामद सिम, पासबुक, चेकबुक व एटीएम के संबंध मे कड़ाई से पूछने पर बता रहे है कि आज कल खाता फ्री में खुलता है इसलिए शौक के मारे उन्होने इतने खाते खुलवा लिये हैं। दोबारा सख्ती व हिकमत अमली से पूछने पर अपनी गलती की माफी मांगते हुए बताया कि वे लोग ऑनलाइन गेमिंग वालों को ये खाते बेचते हैं जिसके बदले वे लोग उन्हें 10,000/– रुपये प्रति खाता देते हैं। वे लोग अपने जान पहचान के लोगों को बहला फुसला कर उनका खाता खुलवा लेते हैं और

उनका ए.टी.एम व पासबुक अपने पास रख लेते हैं और इन खातों को बेच देते हैं। सिम के विषय में पूछने पर वे लोग इन्ही खातों में नये नम्बर भी ऐड कर देते हैं और सिम व एटीएम, चेक बुक उन लोगो को दे देते हैं तो वो लोग उनको इसके बदले में पैसा देते हैं। खाते किसको बेचते हो, के संबंध में पूछने पर बता रहे हैं कि सुधांशु राय पुत्र अज्ञात निवासी मारुती नगर, सामने घाट के पास में वाराणसी मो0नं0 8960440991 व 9026719103 को कभी कभी हाथो हाथ व कभी कभी प्राइवेट बसों से उसके बताये हुए रूट पर भेज देते है। सुधांशु राय के विषय में और अधिक पूछने पर बता रहा है कि उसकी मुलाकात इससे उसके किसी परिचित ने कराई थी जिसके बारे में उसे कुछ याद नहीं है। वह अक्सर उन लोगों से खाता व सिम माँगता रहता है। उनके पास जब भी इंतजाम हो जाता है वे लोग उसे दे देते हैं। अभी उन लोगों ने ज्यादातर अपने व अपने परिवार के ही एकाउंट उसे दिये हैं। अब तक वह लोग उसको लगभग 15 खाते दे चुके हैं और प्राप्त पैसों को वे लोग आपस में बाँट लेते है।

4. **प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में शपथपत्र प्रस्तुत कर मुख्यतः यह कथन गया है कि** उसे परेशान करने की नियत से साजिश के तहत मुल्जिम बना दिया गया है। वह बिल्कुल निर्दोष है। उसके द्वारा कानूनन कोई जुर्म कारित नहीं किया गया है। उसकी ओर से प्रस्तुत यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र न कहीं लम्बित है और न ही कहीं निस्तारित किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में किया गया कथन असत्य है। प्रार्थी का नाम सह अभियुक्तगण के बयान से आया है। सह अभियुक्तगण से प्रार्थी का कोई वास्ता सरोकार नहीं है और न ही किसी प्रकार के खाता आदि के बारे में उसे जानकारी है। प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक 11–02–2026 को साईबर क्राईम थाना चन्दौली की टीम द्वारा प्रयागराज से गिरफ्तार किया जाना तथा उसके पास से साईबर अपराध में इस्तमाल ओप्पो का फोन बरामद होना कहा गया है। प्रार्थी/अभियुक्त प्रयागराज में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता है। उसे गुडवर्क दिखाने हेतु गलत तीरके से अभियुक्त बनाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में थाना लंका जनपद वाराणसी में दर्ज मु.अ.सं. 110/2023 धारा 392, 411 भा.दं.सं. में वह जमानत पर है। उक्त धाराओं का कोई अपराध नहीं बनता है। उसके विरूद्ध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई साक्ष्य नहीं है। बाद जमानत प्रार्थी/अभियुक्त के पलायित होने की कोई सम्भावना नहीं है। उक्त आधार पर जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गई।

5. **राज्य की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि** प्रार्थी/अभियुक्त पर अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर कूटरचित दस्तावेजों का प्रयोग कर छल करते हुए लोगो को आसानी से लोन देने का झांसा देकर विभिन्न बैंको का बचत खाता खुलवाने, खाता ऑनलाईन गेमिंग वालो को बेचकर रूपये प्राप्त करने, जान पहचान के लोगों को बहला फुसला कर उनका खाता खुलवाने के पश्चात उनका ए.टी.एम व पासबुक अपने पास रख लेने के बाद खातों को बेच देने तथा बरामदशुदा सिम के द्वारा खातों में नये नम्बर ऐड करने के पश्चात सिम, ए.टी.एम, चेक बुक देकर पैसे प्राप्त कर साईबर फ्रॉड करने की घटना कारित करने में संलिप्त होने का आक्षेप है। उक्त आधार पर जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई।

6. प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अभियोजन कथानकानुसार प्रार्थी/अभियुक्त पर अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर कूटरचित दस्तावेजों का प्रयोग कर धोखा कारित करते हुए लोगो को आसानी से लोन देने का झांसा देकर विभिन्न बैंको का बचत खाता खुलवाने, खाता ऑनलाईन गेमिंग वालो को बेचकर रूपये प्राप्त करने, जान पहचान के लोगों को बहला फुसला कर उनका खाता खुलवाने के पश्चात उनका ए.टी.एम व पासबुक अपने पास रख लेने के बाद खातों को बेच देने तथा उनके पास से बरामद सिम का प्रयोग कर खातों में नये नम्बर ऐड करने के पश्चात सिम, ए.टी.एम, चेक बुक देकर पैसे प्राप्त कर साईबर फ्रॉड करने की घटना कारित करने में संलिप्त होने का आक्षेप है। प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अभियुक्त है। केस डायरी के पर्चा नं. 1 में अंकित बयान में सह अभियुक्त सिकन्दर राजभर द्वारा यह कथन किया गया है कि उसके द्वारा पैसे की लालच में खाता खुलवाने का काम किया जाता है जिसके माध्यम से साईबर फ्रॉड का पैसा आता है और उसके द्वारा लोगो को लोन दिलाने व अन्य लाभ का लालच देकर उनका खाता खुलवाकर चेक व ए.टी.एम. कार्ड ले लिया जाता है और उसे अभियुक्त सुधांशु राय को देकर पैसे प्राप्त किया जाता है। फर्द बरामदगी के अनुसार दौरान गिरफ्तारी पुलिस द्वारा सह अभियुक्तगण के पास से 04 अदद मोबाईल, 03 अदद पैन कार्ड, 02 अदद आधार कार्ड, 09 अदद सिम लिफाफा, 02 अदद सिम कार्ड, 12 अदद पासबुक, 04 अदद चेक बुक, 07 अदद ए.टी.एम कार्ड, 02 अदद यू.पी.आई.डी क्यू.आर कोड, 01 एक अदद नोटिस जे.एफ. सी.एम.–XI एर्नाकुलम कोर्ट, 20 अदद प्रचार पम्पलेट किर्ती फाईनेन्स बरामद किया गया है।

सम्बन्धित थाने से प्राप्त आख्या में यह उल्लिखित किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर भोले–भाले लोगो को गुमराह करके खाता खुलवाता था तथा उनका खाता पैसे लेकर सह अभियुक्त को बेचता था। प्रार्थी/अभियुक्त का पूर्व का आपराधिक इतिहास भी रहा है जिसका पर्याप्त साक्ष्य केस डायरी में अंकित है तथा प्रार्थी/अभियुक्त के स्वयं के बैंक खाते पर भी एन.सी.आर.पी. पोर्टल पर साईबर कम्पलेंट दर्ज है। प्रार्थी/अभियुक्त के पास से बरामद मोबाईल के व्हाट्सएप चैट के माध्यम से सह अभियुक्तगण के साथ किये गये चैट का पर्याप्त साक्ष्य पाया गया है जो अभियुक्त द्वारा उक्त घटना कारित किया जाना दर्शित करता है। सम्बन्धित थाने से प्राप्त आख्या में यह भी उल्लिखित किया जाना दर्शित है कि प्रार्थी/अभियुक्त एवं सह अभियुक्तगण के कब्जे से बरामद बैंक खातों पर एन.सी.आर.पी पोर्टल पर विभिन्न राज्यों से साईबर कम्पलेंट दर्ज है जिसका साक्ष्य केस डायरी में मौजूद है। उक्त से प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर प्रथम दृष्टया साईबर फ्रॉड किया जाना दर्शित हो रहा है।

अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में बिना गुण दोष पर राय व्यक्त किये व अपराध की गम्भीरता को देखते हुये अभियुक्त को जमानत प्रदान किया जाना उचित नहीं है। तदनुसार प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत नियमित जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **सुधांशु राय उर्फ शुभम राय उर्फ झब्बू राय** की ओर से प्रस्तुत नियमित जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किया जाता है।

दिनांकः 12–03–2026

(रामबाबू यादव)
विशेष न्यायाधीश (एस.सी/एस.टी एक्ट)
चन्दौली।
J.O. code-UP6374

स्टेनो–विकांत कुमार

Digitally signed by RAMBABOO YADAV
Date: 2026.03.12 16:24:49 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court